न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 34 / 2019

1. इन्द्राज जांगिड़ पुत्र श्री घड़सीराम जाति खाती, निवासी सिंघाना तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
2. हवासिंह पुनियां पुत्र श्री रामलाल पुनियां जाति जाट, निवासी सिंघाना तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
3. अमीत कुमार पुत्र श्री राधेश्याम जाति महाजन, निवासी सिंघाना तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
4. कैलाश पुत्र श्री बनवारीलाल जाति खाती, निवासी सिंघाना तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
5. नवल पुत्र श्री बनवारीलाल जाति खाती, निवासी सिंघाना तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
6. गोपाल पुत्र श्री सन्तोष जाति महाजन, निवासी सिंघाना तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

—अपीलांटस

—बनाम—

1. राधेश्याम पुत्र भानाराम, जाति मीणा, निवासी सिंघाना तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
2. शंकरलाल पुत्र भानाराम, जाति मीणा, निवासी सिंघाना तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
3. पतासी पत्नी भानाराम, जाति मीणा, निवासी सिंघाना तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
4. बिमला पत्नी हनुमान, जाति मीणा, निवासी सिंघाना तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
5. मोहन पुत्र हनुमान, जाति मीणा, निवासी सिंघाना तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
6. सिकन्दर पुत्र हनुमान, जाति मीणा, निवासी सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
7. सुषमा पत्नी किशनलाल जाति जाट, निवासी सांवलोद, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
8. धर्मपाल पुत्र लालाराम, जाति खटीक निवासी सिंघाना, तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
9. सुनिल सोनी पुत्र हरिसिंह, जाति सुनार निवासी सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
10. मनीष पुत्र श्री नेमीचन्द पायल, जाति जाट निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

—रेस्पोन्डेंट्स

अपील अं0धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.6.2019 तहसीलदार बुहाना, उनवानी राधेश्याम बनाम इन्द्राज मु0नं0 02 / 2015,प्रार्थना पत्र अं0धारा 183 बी.राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

Signature Not Verified

उपस्थितिः—

1 .श्री राजेश पूनियां,एडवोकेट ——— अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री विजयपाल एडवोकेट ——— रेस्पोन्डेन्ट्स की ओर से ।

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.11.02 13:12:34 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

–निर्णय–   दिनांक 27.10.2022

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.6.2019 मुकदमा नंबर 02/2015 उनवानी राधेश्याम बनाम इन्द्राज वगैरा अं0 धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि– रेस्पोडेन्ट नंबर 1 से 6 ने अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्टस नंबर 7 से 10 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अं0 धारा 183 बीः राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 के तहत पेश किया जिसे अदालत मातहत ने दिनांक 24.06.2019 को स्वीकार कर आदेश पारित किया कि– ''ग्राम ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना में स्थित भूमि खसरा नंबर 590 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 591 रकबा 0.18 हैक्टर से अनावेदकगण को बेदखल किया जाकर आवेदकगण का दखल करवाये जाने का आदेश दिया जाता है। अनावेदकगण द्वारा किया गया अतिक्रमण एवं निर्माण हटवाया जाकर इस भूमि का कब्जा आवेदकगण को दिलवाये जाने का आदेश दिया जाता है। अनावेदकगण द्वारा अतिक्रमण एवं निर्माण नहीं हटाने की स्थिति में अपील की अवधि के पश्चात उनके खिलाफ धारा 183 सीः राज0 काश्तकारी अधि0 के अनुसार परिवाद पत्र सक्षम न्यायालय में अलग से पेश किया जायेगा।''

अदालत मातहत के उक्त निर्णय दिनांक 24.6.2019 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि –मौजुदा प्रकरण में अपीलांट्स के विरूद्ध धारा 183ः बी राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते। अपीलांट्स ने रेस्पोडेंट्स नंबर 1 से 6 अनुसूचित जन जाति की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया। अपीलांट्स गत ख0नं0 352/6/2 वाके ग्राम ढाणी हुक्मा पर वैद्य रूप से काबिज हैं। जमीन गत खसरा नंबर 352/6/2 स्वर्ण जाति की रही है। विवादग्रस्त भूमि सिंघाना ग्राम की भूमि से सटकर है तथा काफी वर्षो से मौके पर आबादी बस चुकी है। दुकानें बन चुकी हैं, बिजली पानी के कनेक्शन हैं। विवादित भूमि एवं उससे लगती अन्य भूमियों के चारों तरफ की भूमि कृषि में काम नहीं आ रही है। विवादित भूमि पर कब्जा व निर्माण करीब 20–30 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। अदालत मातहत के समक्ष अपीलांटस के विरूद्ध धारा 183 बीः राज0 काश्तकारी अधि 1955 की कार्यवाही अन्दर मियाद 12 वर्ष नहीं की गई। अपीलांट्स गत खसरा नंबर 352/6/2 का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधि[illegible] आशय का वाद पत्र सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना [illegible] राधेश्याम पेश कर रखा है जो उक्त न्यायालय में [illegible]3 ने मौजुदा वादविषय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.11.02 13:12:34 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

के संबंध में तत्कालीन सहायक कलेक्टर खेतड़ी के समक्ष दिनांक 20.11.1980 को एक वाद बाबत पतासी बनाम हनुमान वगैरह मु0 नं0 81/1980 पेश किया जो दिनांक 23.6.1981 को खारिज हो गया। इस प्रकार वाद विषय के बाबत रेस्पोडेन्ट नंबर 1 से 6 को वादकारण दिनांक 23.6.1981 को पैदा हुआ। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 से 6 ने वाद कारण के रोज से अन्दर मियाद 12 वर्ष अदालत मातहत के समक्ष कार्यवाही नहीं की, इस कारण मौजुदा धारा 183ःबी की कार्यवाही मियाद बाहर होने के कारण ड्रोप करनी चाहिये थी। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय पारित करने में अपीलांटस की जवाब देही एवं दस्तावेजात को नजर अन्दाज किया है। अदालत मातहत ने अपीलांटस के वैध दस्तावेजात पर कोई टिप्पणी नहीं की तथा ना ही जवाबदेही पर कोई टिप्पणी की। उपरोक्त कारण से आलौच्य निर्णय तर्क व निष्कर्ष सहित नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट्स को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया। धारा 183ःबीः राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की कार्यवाही एक रेगुलर कार्यवाही है जिसमें पक्षकारान की साक्ष्य अति आवश्यक है। उपरोक्त प्रकार से आलौच्य निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 24.06.2019 खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपने पक्ष समर्थन में न्यायालय जिला कलक्टर,झुझुनू का मु0 नं0 51/2018, उनवानी जीवण वगैरह बनाम हनुमानसिंह वगैरह आदेश दिनांक 22.12.2021, न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर अपील स्पेशल नं0 547/2012 उनवानी सीताराम बनाम दी बोर्ड ऑफ रेवन्यु एवं अन्य तथा आर.आर.टी 2014 1 बोर्ड ऑफ रेवन्यु फोर राजस्थान अजमेर–श्री किशना बनाम हरबक्स न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट्स ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अपीलान्ट्स के खिलाफ धारा 183 बी. राजस्थान काश्तकारी अधि0 के प्रावधान लागू नहीं होते। अपीलांट्स अतिक्रमी नहीं हैं। अपीलांट्स गत ख0नं0 352/6/2 वाके ग्राम ढाणी हुक्मा पर वैद्य रूप से काबिज हैं। जमीन गत खसरा नंबर 352/6/2 [illegible] जाति की रही है। अदालत मातहत ने कानून को नजर अंदाज कर आलौच्य निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत के समक्ष अपीलांटस के विरूद्ध धारा 183 बी. राज0 काश्तकारी अधि. 1955 की कार्यवाही अन्दर मियाद 12 वर्ष नहीं की। अपीलांट्स गत खसरा नंबर 352/6/2 का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.11.02 13:12:34 IST
Reason: SelfAttested

करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलांट ने उपरोक्त आशय का वाद पत्र सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना के समक्ष वाद उनवानी कैलाशचन्द्र बनाम राधेश्याम पेश कर रखा है जो उक्त न्यायालय में विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 से 3 ने मौजुदा वाद–विषय के संबंध में तत्कालीन सहायक कलेक्टर खेतड़ी के समक्ष दिनांक 20.11.1980 को एक वाद बाबत पतासी बनाम हनुमान वगैरह मु0 नं0 81/1980 पेश किया जो दिनांक 23.6.1981 को खारिज हो गया। इस प्रकार वाद विषय के बाबत रेस्पोडेन्ट नंबर 1 से 6 को वादकारण दिनांक 23.6.1981 को पैदा हुआ। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 से 6 ने वाद कारण के रोज से अन्दर मियाद 12 वर्ष अदालत मातहत के समक्ष कार्यवाही नहीं की, इस कारण मौजुदा धारा 183:बी की कार्यवाही मियाद बाहर होने के कारण ड्रोप करनी चाहिये थी। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय पारित करने में अपीलांटस की जवाब देही एवं दस्तावेजात को नजर अन्दाज किया है। अदालत मातहत ने अपीलांटस के वैध दस्तावेजात पर कोई टिप्पणी नहीं की तथा ना ही जवाबदेही पर कोई टिप्पणी की। उपरोक्त कारण से आलौच्य निर्णय तर्क व निष्कर्ष सहित नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 24.06.2019 खारिज किया जावे।

दौराने बहस रेस्पोन्डेन्ट्स अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस निवासी सिंघाना के स्थायी निवासी हैं तथा जाति से मीणा हैं। रेस्पोडेंटगण की गांव हुक्मा की ढाणी में खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 590 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 591 रकबा 0.18 हैक्टर स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है। आवेदकगण/रेस्पोडेंटगण गरीब व अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति हैं तथा अपीलांटस भू माफिया है तथा स्वर्ण जाति के प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो आर्थिक व राजनैतिक रूप से बाहुबली हैं। अपीलांट्स द्वारा अनुसूचित जन जाति के गरीब वर्ग के होने का लाभ उठाकर 4 वर्ष पूर्व रेस्पोडेंटस की भूमि खसरा नंबर 590 व 591 पर जबरन से कब्जा कर निर्माण कर लिया एवं अब भी निर्माण जारी कर रखा है एवं अतिक्रमण कर लिया है जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। अपीलांटस की हैसियत नाजायज अतिक्रमी की है। जब भूमि अनुसूचित जन जाति के लोगों की है तो अपीलांट्स का समस्त अतिक्रमण एवं निर्माण स्वतः ही गैर कानूनी है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल [illegible] को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया । हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि– ''अपीलांट्स ने रेस्पोडेंट्स नंबर 1 से 6 अनुसूचित जन जाति की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.11.02 13:12:34 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर

अपीलांट्स गत ख0नं0 352/6/2 वाके ग्राम ढाणी हुक्मा पर वैद्य रूप से काबिज हैं। जमीन गत खसरा नंबर 352/6/2 स्वर्ण जाति की रही है। विवादग्रस्त भूमि सिंघाना ग्राम की भूमि से सटकर है तथा काफी वर्षो से मौके पर आबादी बस चुकी है। दुकाने बन चुकी हैं, बिजली पानी के कनेक्शन हैं। विवादित भूमि एवं उससे लगती अन्य भूमियों के चारों तरफ की भूमि कृषि में काम नहीं आ रही है। विवादित भूमि पर कब्जा व निर्माण करीब 20–30 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। अदालत मातहत के समक्ष अपीलांटस के विरूद्ध धारा 183 बी: राज0 काश्तकारी अधि 1955 की कार्यवाही अन्दर मियाद 12 वर्ष नहीं की गई। अपीलांट्स गत खसरा नंबर 352/6/2 का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए अपीलांट ने उपरोक्त आशय का वाद पत्र सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना के समक्ष वाद उनवानी कैलाशचन्द्र बनाम राधेश्याम पेश कर रखा है जो उक्त न्यायालय में विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 से 3 ने मौजुदा वादविषय के संबंध में तत्कालीन सहायक कलेक्टर खेतड़ी के समक्ष दिनांक 20.11.1980 को एक वाद बाबत पतासी बनाम हनुमान वगैरह मु0 नं0 81/1980 पेश किया जो दिनांक 23.6.1981 को खारिज हो गया। इस प्रकार वाद विषय के बाबत रेस्पोडेन्ट नंबर 1 से 6 को वादकारण दिनांक 23.6.1981 को पैदा हुआ। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 से 6 ने वाद कारण के रोज से अन्दर मियाद 12 वर्ष अदालत मातहत के समक्ष कार्यवाही नहीं की, इस कारण मौजुदा धारा 183:बी की कार्यवाही मियाद बाहर होने के कारण ड्रोप करनी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य निर्णय पारित करने में अपीलांटस की जवाब देही एवं दस्तावेजात को नजर अन्दाज किया है। और अपीलांटस के वैध दस्तावेजात पर कोई टिप्पणी नहीं की तथा ना ही जवाबदेही पर कोई टिप्पणी की आदि।''

मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना के निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बुहाना द्वारा उनके समक्ष अप्रार्थी/अपीलांट्स द्वारा जवाबदेही में उठाये गये बिन्दुओं एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के संबंध में उनके द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.6.2019 में कोई विवेचना नहीं की गई है और ना ही मियाद के बिन्दु पर कोई <u>तर्क/टिप्पणी</u> की गई है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स का यह भी कथन रहा है कि विवादित भूमि अनुसूचित जन जाति की भूमि नहीं है, उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के यहां रिकार्ड दुरूस्ती के लिए वाद दायर किया गया है जो विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में [illegible] न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा बिना राजस्व रिकार्ड एवं प्रकरण [illegible] किये एवं बिना विवेचना के वर्षों पुराने पक्के मकानात बनाकर [illegible] व्यक्तियों को बेदखल किया जाना न्यायसंगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.11.02 13:12:34 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

प्रतीत नहीं होता। धारा 183:बीः राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की कार्यवाही एक रेगुलर कार्यवाही है जिसमें पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तमाम साक्ष्य की विवेचना अति–आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय तर्क व निष्कर्ष सहित नहीं है। अतः इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जान उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना का निर्णय दिनांक 24.6.2019 उनवानी राधेश्याम बनाम इन्द्राज, मु0 नं0 2/2015 को निरस्त किया जाता है। तथा पत्रावली पुनः तहसीलदार बुहाना को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित की जाती है कि वे मौके की स्वयं जांच कर पक्षकारान को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं रेस्पोन्डेन्ट से जिरह करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये मियाद व कब्जे के बिन्दू एवं उपखण्ड न्यायालय बुहाना में विचाराधीन वाद के मध्य नजर गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिनुकूल निर्णय पारित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

27.10.2022

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 27.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.11.02 13:12:34 IST
Reason: SelfAttested